

**विचारार्थ विषय**  
**वरिष्ठ परामर्शदाता - विधि / (एक पद)**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से उल्लिखित पद के लिए पूर्णतया अनुबंध के आधार पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

**भूमिका और उत्तरदायित्व**

1. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और देश के अन्य न्यायालयों के समक्ष लंबित अदालती मामलों की प्रगति की निगरानी के द्वारा नियमित रूप से आरसीएच / एनएचएम प्रभागों की सहायता करना।
2. विभिन्न अदालती मामलों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना और राज्य पीआईपी के मूल्यांकन के संदर्भ में आवश्यक होने पर कानूनी इनपुट उपलब्ध कराना।
3. चल रहे अदालती मामलों के लिए घटनाओं और उनके सार के संबंध में नियमित रूप से और समयबद्ध आधार पर समय-सारणी बनाना तथा उन्हें अद्यतन करना और प्राप्त नोटिस के लिए कार्रवाई योजना बनाना।
4. भारत संघ के एएसजी / कानूनी प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करना।
5. उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं से लंबित मामलों के निबटारे हेतु समन्वय स्थापित करने के लिए दौरा करना।
6. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित अदालती मामलों की याचिकाओं और आवेदन पत्रों का पैरावार/बिन्दुवार जवाब का मसौदा तैयार करना।
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के भीतर तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बाहर सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वय और पत्राचार करना।
8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए विधेयकों/अधिनियमों का मसौदा तैयार करने में सहायता करना।
9. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आरसीएच प्रभाग के जननी सुरक्षा योजना, परिवार नियोजन और टीकाकरण तथा अन्य विषयों से संबंधित कानूनी मामलों में उत्तर तैयार करने में आरसीएच प्रभाग की सहायता करना।
10. अधिवक्ताओं को सार प्रस्तुत करना और चेतावनी याचिका दायर करने तथा मांगे गए जवाबों के लिए न्यायालयों का दौरा करना।
11. अवमानना के मामलों की निगरानी और प्रबंधन करना।
12. सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का कानूनी सार, टिप्पणियां और पृष्ठभूमि तैयार करना।
13. सरकारी अधिकारियों और केन्द्र सरकार के सलाहकारों, स्थायी सलाहकारों, भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल के साथ बैठक करना।
14. अभिविन्यास सत्रों, सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेना।

15. विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित कानूनी मामलों को निपटाना।
16. भारत संघ अर्थात् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जवाबी हलफनामा, शपथ-पत्रों और उत्तर का मसौदा तैयार करना।
17. विशिष्ट कानूनी मामलों का स्वतंत्र अनुसंधान और विश्लेषण करना, कानूनी मामलों की निगरानी करना।
18. महत्वपूर्ण अदालती मामलों की सुनवाई में भाग लेना और केन्द्र सरकार के सलाहकारों और एलडी, एएसजी को सार प्रस्तुत करना।
19. उपर्युक्त सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना।

**पात्रता:**

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री।
2. विधि मामलों में न्यूनतम 4-6 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 3 वर्ष का अनुभव सरकारी राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर हो तथा जन स्वास्थ्य प्रणाली, और संगत सरकारी नीतियों / कार्यनीतियों, विशेषकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जानकारी हो। राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर एनएचएम / आरसीएच में कार्य कर चुके उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
3. उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय के स्तर पर अदालती मामलों से निपटने का ज्ञान और अनुभव।
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के बारे में जानकारी।
5. उत्कृष्ट संचार कौशल, मसौदा तैयार करने और कंप्यूटर पर कार्य करने का अच्छा ज्ञान।
6. अंग्रेजी में लिखने और बोलने का अच्छा ज्ञान और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अपेक्षित है तथा एमएस ऑफिस और अन्य अनुप्रयोगों में कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।
7. सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों, संचार और टीम-वर्क का कौशल।
8. औपचारिक शैक्षिक योग्यता, अनुभव और उम्र में छूट दी जा सकती है जब उच्च गुणवत्ता का कोई प्रकाशित कार्य किया हो या जब किसी विशिष्ट प्रासंगिकता के कार्य का अनुभव हो।

**आयु:** दिनांक 1/4/2017 को अधिकतम आयु 55 वर्ष। विस्तृत क्षेत्र दौरों पर जाने हेतु स्वास्थ्य उत्तम हो।

**पारिश्रमिक:** प्रतिमाह 90,000/-रु. से 1,30,000/-रु. के बीच।

**स्थान:** दिल्ली

**आवेदन कैसे करें:**

कैंडिडेट्स को अनुरोध किया जाता है कि वह एनएचएमआरसी वेबसाइट पर उपलब्ध ToR के साथ संलग्न आवेदन पत्र को डाउनलोड करे और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को ई.मेल [mohfw.recruitment@gmail.com](mailto:mohfw.recruitment@gmail.com) में दिनांक **1-Jul-2017** को अपराह्न 4 बजे तक अवश्य भेज दे। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।